भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 40**

दिनांक 13 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए

**आश्रय-गृहों का अवैध रूप से संचालन किया जाना**

**\*40. श्री कपिल सिब्बलः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, महिला आश्रय-गृहों, उनके प्रबंधन एवं उन मामलों की स्थिति का ब्यौरा क्या है जिनमें महिलाओं के साथ दुराचार तथा उत्पीड़न की घटनाएं होने की सूचना मिली है;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य सरकार को इस आशय की रिपोर्ट भेजे जाने के बावजूद मुजफ्फरपुर आश्रय-गृह का संचालन अवैध रूप से किया जा रहा था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन आश्रय-गृहों में रहने वाली महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

श्रीमती मेनका संजय गांधी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (घ) : विवरण सदन के पटल पर प्रस्‍तुत है ।

\*\*\*\*\*

**'आश्रय-गृहों का अवैध रूप से संचालन किया जाना' विषय पर श्री कपिल सिब्बल द्वारा दिनांक 13 दिसंबर, 2018 को पूछा जाने वाले राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 40 के उत्‍तर में संदर्भित विवरण**

(क) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्‍वाधार गृह स्‍कीम क्रियान्‍वित कर रहा है । इस स्‍कीम का लक्ष्‍य वर्ग दुर्भाग्‍यपूर्ण परिस्‍थितियों की शिकार ऐसी महिलाएं हैं, जिन्‍हें पुनर्वास हेतु संस्‍थागत सहायता की जरूरत पड़ती है, जिससे कि वे गरिमापूर्ण तरीके से अपना जीवन व्‍यतीत कर सकें । पिछले तीन वर्षों में स्‍वाधार गृहों का राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र-वार ब्‍यौरा **अनुलग्‍नक** में दिया गया है ।

(ख) से (घ) : जी, नहीं । 'बाल संरक्षण सेवा' (सीपीएस) (तत्‍कालीन समेकित बाल संरक्षण स्‍कीम) के अंतर्गत, राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों को गृहों की स्‍थापना और प्रबंधन के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं । राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा संस्‍तुत वित्‍तीय प्रस्‍तावों पर विचार करने और उनका अनुमोदन करने के लिए आईसीपीएस के अंतर्गत गठित अंतर-मंत्रालयी परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा गृहों की स्‍थापना के बारे में जरूरत के मूल्‍यांकन और प्रक्षेपित आवश्‍यकता के आधार पर निर्णय लिया जाता है । तथापि, बच्‍चों के लिए आश्रय गृहों में बच्‍चों के शोषण के संबंध में क्षुब्‍ध कर देने वाली कुछ घटनाएं मंत्रालय के ध्‍यान में आई हैं । मुज़फ्फरपुर, बिहार में 'सेवा संकल्‍प एवं विकास समिति' आश्रय गृह, जो कि बाल देखरेख संस्‍था थी, में बच्‍चों के साथ हुई हिंसा और शोषण की घटना की जानकारी मिली है । आश्रय गृहों में यौन शोषण की क्षुब्‍ध कर देने वाली रिपोर्टों के मद्देनज़र, मंत्रालय ने मुख्‍य सचिवों से कहा है कि बाल देखरेख संस्‍थाएं होने का दावा करने वाले सभी केंद्रों का तत्‍काल निरीक्षण किया जाए और मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्‍तुत की जाए । राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों से कहा गया है कि वे जिला मजिस्‍ट्रेट/जिला कलैक्‍टर के पर्यवेक्षण में निरीक्षण कराएं । बिहार राज्‍य को अलग से कहा गया है कि इस घटना के बारे में और ऐसे अन्‍य मामलों में उनके द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में रिपोर्ट प्रस्‍तुत करें । मंत्रालय ने राज्‍यों की निरीक्षण रिपोर्टों के निष्‍कर्षों के साथ-साथ सिस्‍टम की कमियों पर चर्चा करने के लिए राज्‍यों के साथ एक बैठक का आयोजन किया । राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों ने सूचित किया है कि कुल 8,244 पंजीकृत बाल देखरेख संस्‍थाओं में से 539 संस्‍थाओं को विभिन्‍न कारणों से बंद कर दिया गया है । मंत्रालय ने किसी बाल देखरेख संस्‍था में शोषण की किसी अप्रिय घटना के कारण बच्‍चों के जीवन मे विघ्‍न पड़ जाने के मामलों में की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में राज्‍यों और संघ राज्‍य क्षेत्रों को एक परामर्शी भी जारी की है । बाल देखरेख संस्‍थाओं के लिए निगरानी तंत्र किशोर न्‍याय अधिनियम, 2015 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्धारित है, जिसके अनुपालन पर मंत्रालय ने जोर दिया है । स्‍वाधार गृह तथा उज्‍ज्‍वला स्‍कीमों में गैर-सरकारी संगठनों की तीन स्‍तरों, अर्थात जिला स्‍तर, राज्‍य स्‍तर और केंद्रीय स्‍तर पर मानीटरिंग परिकल्‍पित है ।

\*\*\*\*\*

**अनुलग्‍नक**

**'आश्रय-गृहों का अवैध रूप से संचालन किया जाना' विषय पर श्री कपिल सिब्बल द्वारा दिनांक 13 दिसंबर, 2018 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 40 के उत्‍तर में संदर्भित विवरण**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **स्‍वाधार गृहों की संख्‍या** | | | | |
| **क्र.सं.** | **राज्‍यों के नाम** | **2015-16** | **2016-17** | **2017-18** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 10 | 26 | 26 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 1 | 1 |
| 3 | असम | 12 | 24 | 24 |
| 4 | बिहार | 3 | 16 | 16 |
| 5 | पंजाब | 0 | 2 | 2 |
| 6 | चंडीगढ़ | 0 | 1 | 1 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 1 | 4 | 3 |
| 8 | दिल्ली | 0 | 2 | 2 |
| 9 | गोवा | 0 | 1 | 1 |
| 10 | गुजरात | 4 | 7 | 7 |
| 11 | हरियाणा | 0 | 1 | 1 |
| 12 | जम्मू-कश्मीर | 3 | 4 | 4 |
| 13 | झारखंड | 2 | 3 | 3 |
| 14 | कर्नाटक | 32 | 61 | 45 |
| 15 | केरल | 3 | 8 | 8 |
| 16 | मध्य प्रदेश | 12 | 6 | 6 |
| 17 | महाराष्ट्र | 45 | 76 | 76 |
| 18 | मणिपुर | 18 | 23 | 23 |
| 19 | मिजोरम | 1 | 2 | 2 |
| 20 | मेघालय | 0 | 0 | 2 |
| 21 | नागालैंड | 0 | 1 | 1 |
| 22 | ओडिशा | 44 | 73 | 72 |
| 23 | पुद्दुचेरी | 0 | 1 | 1 |
| 24 | राजस्थान | 12 | 14 | 14 |
| 25 | सिक्किम | 0 | 1 | 1 |
| 26 | तमिलनाडु | 14 | 40 | 40 |
| 27 | तेलंगाना | 10 | 24 | 24 |
| 28 | त्रिपुरा | 0 | 4 | 4 |
| 29 | उत्तर प्रदेश | 42 | 72 | 76 |
| 30 | उत्तराखंड | 4 | 4 | 9 |
| 31 | पश्चिम बंगाल | 17 | 48 | 48 |
| 32 | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 0 | 1 | 1 |
|  | **कुल** | **289** | **551** | **544** |